

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1770

बुधवार, 7 अगस्त, 2024 (श्रावण 16, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

1770 श्री संजीव अरोड़ा:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के लिए आंकड़े एकत्र करने की योजना है; और
- (ख) क्या सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीसीएस), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), सहकारी चीनी मिलों, जिला संघों और बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (एमएससीएस) आदि को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): देश की सभी सहकारी समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस वेब आधारित पोर्टल (<https://cooperatives.gov.in>) के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है। जिला नोडल अधिकारियों की देखरेख में जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों में डेटा दर्ज/अद्यतन किया जा रहा है। डी.ई.ओ. द्वारा दर्ज/अद्यतन किए गए डेटा को जिला नोडल अधिकारियों द्वारा विधिवत जांचा और प्रमाणित किया जाता है।

(ख): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस भारत भर में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों की जानकारी तक एकल बिंदु पहुंच है। यह सहकारी समितियों के भौगोलिक वितरण में अंतराल की पहचान करने और विभिन्न स्तरों पर काम करने वाली सहकारी समितियों के अपवर्ड और बैकवर्ड संबंधों को स्थापित करने में मदद करता है। यह सरकार को डेटा-आधारित निर्णय लेने, नीतियां विकसित करने और संसाधनों को प्रभावी ढंग से वितरित करने में सुविधा प्रदान करता है, जिससे देश के सहकारी परिदृश्य के समग्र सुधार में योगदान मिलता है।
